संख्या- 861/2023/2655/35-4-2023/35-4099/118/2021

प्रेषक,

जे० एल० यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 18 अक्टूबर, 2023

विषय:- जनपद-गोण्डा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास के योजना अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद गोण्डा में शासनादेश संख्या- 172/2021/1577/35-4-2021, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्य की रू0 2497.05 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू० 100.00 लाख की धनराशि, शासनोदश सं०: 587/2021/2586/35-4-2021 दिनांक: 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1148.52 लाख, शासनोदश सं0 52/2022/148/35-4-2022, दिनांक: 17 फरवरी, 2022 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 624.26 लाख की धनराशि एवं शासनोदश सं0 186/2022/618/35-4-2022/ 001-35-4099/118/2021 दिनांक: 20 जून, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 499.41 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी | इस तरह कुल रू0 2372.19 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी |

जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत रू0 2497.05 लाख के सापेक्ष अद्यतन अवमुक्त की गई धनराशि रू0 2372.19 लाख का पूर्ण उपभोग एवं उक्त परियोजना पर धनराशि रु० 0.51 लाख की बचत किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि रू० 124.35 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू० 124.35 लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित	पूर्व में	व्यय	बचत	अवशेष देय	अवमुक्त

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

	लागत	अवमुक्त धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि
मोतीगंज दुर्जनपुर बगुलही मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	2497.05	2372.19	2372.19	0.51	124.35	124.35

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2021; दिनांक: 24 दिसम्बर, 2021; दिनांक: 17 फरवरी, 2022 एवं दिनांक: 20 जून, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू० 1,24,35,000/- (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या- 861/2023/2655(1)/35-4-2023/35-4099/118/2021 तद्दिनांक |</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ लोक निर्माण विभाग, गोण्डा ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in